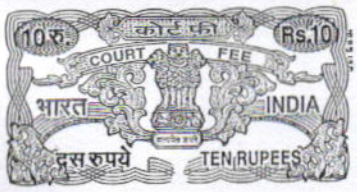

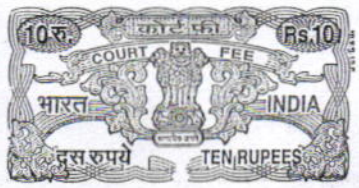

न्यायालय माननीय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

1. तुलसीबाई पति स्व. राधेश्याम आयु 40 वर्ष
2. कुन्दन पिता स्व. राधेश्याम, आयु 14 वर्ष
3. कुलदीप पिता स्व. राधेश्याम आयु 12 वर्ष
दोनों नाबालिग पालनकर्ता माता तुलसीबाई
पति स्व. राधेश्याम रघुवंशी धन्धा खेती
निवासीयान–ग्राम खण्डवा तह. व जिला धार म0प्र0

................निगरानीकर्तागण

बनाम

सुनीताबाई पिता नंदरामसिंह जाति रघुवंशी,
आयु 40 वर्ष, निवासी–ग्राम आकोलिया
तह. व जिला धार म0प्र0 ....विपक्षीयां

रिवीजन अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मुजब

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. यह कि निगरानीकर्तागण ग्राम खण्डवा तह. व जिला धार के निवासी है । निगरानीकर्ता कमांक 2 व 3 कमांक 1 के पुत्रगण है निगरानीकर्ता कमांक 1 के पति एवं कमांक 2 व 3 के पिता स्व. राधेश्याम पिता हरेसिंह थे उक्त राधेश्याम के मालकी स्वत्व, व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम खण्डवा एवं ग्राम कल्याणसीखेड़ी में स्थित थी । राधेश्याम जी की मृत्यु होने पर निगरानीकर्तागण के द्वारा फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया । निगरानीकर्तागण के अलावा अन्य कोई वारिस राधेश्याम का नहीं था । राधेश्याम की जीवित अवस्था में उसके भैया बंध भूमि की सेड़ेमेढ़ और कृषि भूमि के संबंध में विवाद करने लगे तो राधेश्याम ने अपनी जीवित अवस्था में ही विधिवत् एक वसीयतनामा भी निगरानीकर्तागण के पक्ष में सोच समझकर निष्पादित करवा दिया व जिस

निरन्तर...............2

पर सुनकर, समझकर, गवाहों की उपस्थिति में अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति में अपने समक्ष गवाहों की साक्ष्य भी वसीयतनामे पर करवा दी ।

2. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा सदर ग्राम खण्डवा व ग्राम कल्याणसीखेड़ी की भूमियों पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, पश्चात विपक्षीयां सुनीताबाई जिसका की राधेश्याम से कोई संबंध नहीं है और ना ही उसकी संपत्ति पर कोई हक अधिकार है, किन्तु उक्त कथित विपक्षीयां सुनीताबाई जो कि ग्राम आकोलिया की निवासी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है । उसने ग्राम खण्डवा एवं ग्राम आकोलिया के लोगों की सिखावट में आकर एक झूठी असत्य फर्जी रूप से रिवीजनकर्तागण के नामांतरण आवेदन में आपत्ति प्रस्तुत की, कि वह राधेश्याम की पत्नी है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रकरण में पेश नहीं हुआ है ।

3. यह कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय के न्यायालय में निगरानीकर्तागण की ओर से गवाह प्रमाण प्रस्तुत किया और अपने आवेदन में लिखे कथनों को विधिवत् प्रमाणित किया। विपक्षीयां के द्वारा भी मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किये ।

4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिवत् जांच पड़ताल और अवलोकन कर निगरानीकर्तागण का मूल आवेदन पत्र धारा 109, 110 म0प्र0भू0रा0सं0 अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 43/अ–6/2015–16 में आदेश दिनांक 29/04/2016 को स्वीकार कर प्रार्थीगण का नामांतरण खाते खसरे में किये जाने का आदेश प्रदान किया और तत्पश्चात प्रार्थीगण के नाम से ऋण पुस्तिका भी जारी होकर उनका नामांतरण भी खाते खसरे में हो चुका एवं विपक्षीयां को कोई अधिकार राधेश्याम जी की संपत्ति में नही माना ना उसको पत्नी माना ।

निरन्तर.....3

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 4441-पीबीआर/16 जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदक अधिवक्ता श्री मोहन शर्मा उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री योगेश वर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	